"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 16] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 20 अप्रैल 2018—चैत्र 30, शक 1940

भाग 3 (1)

विज्ञापन

अन्य सूचनाएं

उपनाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, विश्वनाथ सिंघल आत्मज स्व. अजुध्या प्रसाद कलानोरिया, उम्र 56 वर्ष, निवासी-61 सुभाष चौक, रायगढ़, तहसील व जिला रायगढ़ (छ. ग.) का हूं. यह कि पूर्व में मेरा नाम विश्वनाथ कलानोरिया आ. अजुध्या प्रसाद कलानोरिया था तथा यही नाम मेरे पूर्व के समस्त शासकीय व अर्धशासकीय दस्तावेजों/अभिलेखों में दर्ज है. मैं अपने उपनाम कलानोरिया को हटाकर, अपने नाम के आगे "सिंघल" उपनाम जोड़कर नया नाम/उपनाम विश्वनाथ सिंघल रख लिया हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अत: अब मुझे विश्वनाथ सिंघल आ. स्व. अजुध्या प्रसाद कलानोरिया के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	**नया नाम**
विश्वनाथ कलानोरिया पिता-स्व. अजुध्या प्रसाद कलानोरिया निवासी-61, सुभाष चौक, रायगढ़, तह. व जिला-रायगढ़ (छ. ग.)	विश्वनाथ सिंघल पिता-स्व. अजुध्या प्रसाद कलानोरिया निवासी-61, सुभाष चौक, रायगढ़, तह. व जिला-रायगढ़ (छ. ग.)

उपनाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, श्रीमती उर्मिला सोनबोइर ध. प. श्री खुमान सिंह सोनबोइर, उम्र 50 वर्ष, निवासी-पीयूष विला, सड़क नं. 8, जोन-न्यू आदर्श नगर, दुर्ग, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) की हूं. यह कि मेरे पति भिलाई इस्पात संयंत्र भिलाई में कार्यरत हैं. मेरे आधार कार्ड, बैंक पासबुक, पेन कार्ड आदि अन्य अभिलेखों में मेरा नाम श्रीमती उर्मिला सोनबोइर पति श्री खुमान सिंह सोनबोइर दर्ज है जो कि सही है, किन्तु मेरे पति के सर्विस रिकार्ड में मेरा नाम श्रीमती उर्मिला साहू पति श्री खुमान सिंह दर्ज है, जो कि त्रुटिपूर्ण है. मैं अपने नाम को परिवर्तित कर सही नाम/उपनाम श्रीमती उर्मिला सोनबोइर (Smt. Urmila Sonboir) रख ली हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दी हूं.

अत: अब मुझे श्रीमती उर्मिला सोनबोइर ध. प. श्री खुमान सिंह सोनबोइर के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

श्रीमती उर्मिला साहू (Smt. Urmila Sahu)
पति-श्री खुमान सिंह (w/o Shri Khuman Singh)
निवासी-पीयूष विला, सड़क नं. -8,
जोन-न्यू आदर्श नगर, दुर्ग,
तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.)

नया नाम

श्रीमती उर्मिला सोनबोइर
(Smt. Urmila Sonboir)
पति-श्री खुमान सिंह सोनबोइर
(w/o Shri Khuman Singh Sonboir)
निवासी-पीयूष विला, सड़क नं. -8,
जोन-न्यू आदर्श नगर, दुर्ग,
तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.)

उपनाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, शेख मोबिनुद्दीन आ. शेख रहीमुद्दीन, उम्र 57 वर्ष, निवासी-धरमपुरा-2, अटल बिहारी बाजपेई वार्ड-38, जगदलपुर, तहसील-जगदलपुर, जिला-बस्तर (छ. ग.) का हूं. यह कि मेरे समस्त शैक्षणिक प्रमाण पत्रों में मेरा नाम मोबिनुद्दीन आ. रहीमुद्दीन दर्ज है जो कि अपूर्ण व त्रुटिपूर्ण है. मैं अपने नाम के आगे "शेख" उपनाम जोड़कर नया सही व पूर्ण नाम शेख मोबिनुद्दीन आ. शेख रहीमुद्दीन रख लिया हूं तथा यही नाम मेरे आधार कार्ड में भी दर्ज है. इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अत: अब मुझे शेख मोबिनुद्दीन आ. शेख रहीमुद्दीन के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

मोबिनुद्दीन (Mobinuddin)
पिता-रहीमुद्दीन (Rahimuddin)
निवासी-धरमपुरा-2,
अटल बिहारी बाजपेई वार्ड-38,
जगदलपुर,
तहसील-जगदलपुर,
जिला-बस्तर (छ. ग.)

नया नाम

शेख मोबिनुद्दीन (Sheikh Mobinuddin)
पिता-शेख रहीमुद्दीन
(S/o- Seikh Rahimuddin)
निवासी-धरमपुरा-2,
अटल बिहारी बाजपेई वार्ड-38,
जगदलपुर,
तहसील-जगदलपुर,
जिला-बस्तर (छ. ग.)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, डॉ. स्नेहा भार्गव ध. प. डॉ. श्री संदीप भार्गव, उम्र 40 वर्ष, निवासी-डी 100, शैलेन्द्र नगर, रायपुर, तहसील व जिला रायपुर, (छ. ग.) की हूं. यह कि पूर्व में मेरा नाम डॉ. योगिता वर्मा आत्मजा श्री रामखिलावन वर्मा था तथा यही नाम मेरे समस्त शैक्षणिक प्रमाण पत्रों व अन्य शासकीय/अर्द्धशासकीय अभिलेखों व दस्तावेजों में दर्ज है. मेरा विवाह दिनांक 12-05-2000 को डॉ. संदीप भार्गव के साथ आर्य समाज में हिन्दू रीति रिवाज के साथ संपन्न हुआ. विवाह पश्चात् मैं अपने नाम को परिवर्तित कर नया नाम/उपनाम श्रीमती स्नेहा भार्गव रख ली हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दी हूं.

अत: अब मुझे श्रीमती डॉ. स्नेहा भार्गव ध. प. डॉ. श्री संदीप भार्गव के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	**नया नाम**
डॉ. योगिता वर्मा पिता-श्री रामखिलावन वर्मा निवासी-ग्राम-भिंभौरी, पोस्ट-छतौद, तहसील-तिल्दा, जिला-रायपुर (छ. ग.)	डॉ. स्नेहा भार्गव पति-डॉ. श्री संदीप भार्गव निवासी-डी 100, शैलेन्द्र नगर, रायपुर, तहसील व जिला-रायपुर (छ. ग.)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, मुनीर रजा आत्मज श्री मजहरउद्दीन, उम्र 36 वर्ष, निवासी-मौहदापारा, रायपुर, तहसील व जिला-रायपुर (छ. ग.) का हूं. यह कि पूर्व में मेरा नाम शेख मुनीरउद्दीन रजा था, तथा यही नाम मेरे शैक्षणिक प्रमाण पत्रों, बैंक खाता व मेरे सर्विस रिकार्ड में दर्ज है. मैं पुलिस विभाग, पुलिस कार्यालय रायपुर में कार्यरत हूं. मैं अपने पूर्व नाम को परिवर्तित कर नया नाम मुनीर रजा रख लिया हूं तथा यह नया नाम मेरे आधार कार्ड, पेनकार्ड, लायसेंस आदि में दर्ज है तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अत: अब मुझे मुनीर रजा (MUNEER RAZA) आ. श्री मजहरउद्दीन के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	**नया नाम**
शेख मुनीरउद्दीन रजा पिता-श्री मजहरउद्दीन निवासी-मौहदापारा, रायपुर, तह. व जिला-रायपुर (छ. ग.)	मुनीर रजा (MUNEER RAZA) पिता-श्री मजहरउद्दीन निवासी-मौहदापारा, रायपुर, तह. व जिला-रायपुर (छ. ग.)

विविध

अन्य सूचनाएं

कार्यालय उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं दुर्ग (छ. ग.)

दुर्ग, दिनांक 26 मार्च 2018

क्रमांक/उपंदु/परिसमापन/2018/333.—वस्तुत: छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अंतर्गत कार्यालयीन आदेश क्रमांक/उपंदु/परिसमापन/2014-15/47 दुर्ग, दिनांक 08-01-2015 के द्वारा श्री डी. डी. विश्वास, सहकारी निरीक्षक को स्टोर वर्क्स को-ऑप. केंटीन मर्या. भिलाई, पंजीयन क्रमांक 1987 का परिसमापक नियुक्त किया गया था. श्री डी. डी. विश्वास, सहकारी निरीक्षक की पदोन्नति पश्चात् दुर्ग जिले से रायपुर जिले में स्थानांतरित हो जाने के फलस्वरूप मैं उमेश तिवारी, उप रजिस्ट्रार सहकारी संस्थाएं दुर्ग, छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 उपधारा (2) (क) के अंतर्गत रजिस्ट्रार में वेष्ठित शक्तियाँ जो कि, छ. ग. शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र./15-23/15-02/2015/3 दिनांक 26-10-2017 के द्वारा मुझे प्रदत्त की गई है, का प्रयोग करते हुए पूर्व में जारी आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए श्री डी. डी. विश्वास, सहकारी निरीक्षक के स्थान पर श्री पी. के. पाण्डेय, सहकारी निरीक्षक को स्टोर वर्क्स को-ऑप. केंटीन मर्या. भिलाई पंजीयन क्रमांक 1987 समिति का परिसमापक नियुक्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 26-03-2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं पद मुद्रा से जारी किया जाता है.

दुर्ग, दिनांक 26 मार्च 2018

क्रमांक/उपंदु/परिसमापन/2018/334.—वस्तुत: छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अंतर्गत कार्यालयीन आदेश क्रमांक/उपंदु/परिसमापन/2014-15/54 दुर्ग, दिनांक 08-01-2015 के द्वारा श्री डी. डी. विश्वास, सहकारी निरीक्षक को सेंट्रल रॉ मटेरियल को-ऑप. केंटीन मर्या. भिलाई, पंजीयन क्रमांक 2314 का परिसमापक नियुक्त किया गया था. श्री डी. डी. विश्वास, सहकारी निरीक्षक की पदोन्नति पश्चात् दुर्ग जिले से रायपुर जिले में स्थानांतरित हो जाने के फलस्वरूप मैं उमेश तिवारी, उप रजिस्ट्रार सहकारी संस्थाएं दुर्ग, छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 उपधारा (2) (क) के अंतर्गत रजिस्ट्रार में वेष्ठित शक्तियाँ जो कि, छ. ग. शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र./15-23/15-02/2015/3 दिनांक 26-10-2017 के द्वारा मुझे प्रदत्त की गई है, का प्रयोग करते हुए पूर्व में जारी आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए श्री डी. डी. विश्वास, सहकारी निरीक्षक के स्थान पर श्री पी. के. पाण्डेय, सहकारी निरीक्षक को सेंट्रल रॉ मटेरियल को-ऑप. केंटीन मर्या. भिलाई, पंजीयन क्रमांक 2314 समिति का परिसमापक नियुक्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 26-03-2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं पद मुद्रा से जारी किया जाता है.

दुर्ग, दिनांक 26 मार्च 2018

क्रमांक/उपंदु/परिसमापन/2018/335.—वस्तुत: छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अंतर्गत कार्यालयीन आदेश क्रमांक/उपंदु/परिसमापन/2015/671 दुर्ग, दिनांक 18-03-2015 के द्वारा श्री डी. डी. विश्वास, सहकारी निरीक्षक को इस्पात भवन को-ऑप. केंटीन मर्या. भिलाई, पंजीयन क्रमांक 2481 का परिसमापक नियुक्त किया गया था. श्री डी. डी. विश्वास, सहकारी निरीक्षक की पदोन्नति पश्चात् दुर्ग जिले से रायपुर जिले में स्थानांतरित हो जाने के फलस्वरूप मैं उमेश तिवारी, उप रजिस्ट्रार सहकारी संस्थाएं दुर्ग, छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 उपधारा (2) (क) के अंतर्गत रजिस्ट्रार में वेष्ठित शक्तियाँ जो कि, छ. ग. शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र./15-23/15-02/2015/3 दिनांक 26-10-2017 के द्वारा मुझे प्रदत्त की गई है, का प्रयोग करते हुए पूर्व में जारी आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए श्री डी. डी. विश्वास, सहकारी निरीक्षक के स्थान पर श्री पी. के. पाण्डेय, सहकारी निरीक्षक को इस्पात भवन को-ऑप. केंटीन मर्या. भिलाई, पंजीयन क्रमांक 2481 समिति का परिसमापक नियुक्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 26-03-2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं पद मुद्रा से जारी किया जाता है.

दुर्ग, दिनांक 26 मार्च 2018

क्रमांक/उपंदु/परिसमापन/2018/336.—वस्तुतः छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अंतर्गत कार्यालयीन आदेश क्रमांक/उपंदु/परिसमापन/2014-15/46 दुर्ग, दिनांक 08-01-2015 के द्वारा श्री डी. डी. विश्वास, सहकारी निरीक्षक को आर. एम. पी. को-ऑप. केंटीन बी. एस. पी. मर्या. भिलाईपंजीयन क्रमांक 2311 का परिसमापक नियुक्त किया गया था. श्री डी. डी. विश्वास, सहकारी निरीक्षक की पदोन्नति पश्चात् दुर्ग जिले से रायपुर जिले में स्थानांतरित हो जाने के फलस्वरूप मैं उमेश तिवारी, उप रजिस्ट्रार सहकारी संस्थाएं दुर्ग, छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 उपधारा (2) (क) के अंतर्गत रजिस्ट्रार में वेष्ठित शक्तियाँ जो कि, छ. ग. शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र./15-23/15-02/2015/3 दिनांक 26-10-2017 के द्वारा मुझे प्रदत्त की गई है, का प्रयोग करते हुए पूर्व में जारी आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए श्री डी. डी. विश्वास, सहकारी निरीक्षक के स्थान पर श्री पी. के. पाण्डेय, सहकारी निरीक्षक को आर. एम. पी. को-ऑप. केंटीन बी. एस. पी. मर्या. भिलाईपंजीयन क्रमांक 2311 समिति का परिसमापक नियुक्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 26-03-2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं पद मुद्रा से जारी किया जाता है.

दुर्ग, दिनांक 26 मार्च 2018

क्रमांक/उपंदु/परिसमापन/2018/337.—वस्तुतः छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अंतर्गत कार्यालयीन आदेश क्रमांक/उपंदु/परिसमापन/2015/670 दुर्ग, दिनांक 18-03-2015 के द्वारा श्री डी. डी. विश्वास, सहकारी निरीक्षक को इलेक्ट्रिल डिपार्टमेंट को-ऑप. केंटीन मर्या. भिलाई, पंजीयन क्रमांक 1989 का परिसमापक नियुक्त किया गया था. श्री डी. डी. विश्वास, सहकारी निरीक्षक की पदोन्नति पश्चात् दुर्ग जिले से रायपुर जिले में स्थानांतरित हो जाने के फलस्वरूप मैं उमेश तिवारी, उप रजिस्ट्रार सहकारी संस्थाएं दुर्ग, छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 उपधारा (2) (क) के अंतर्गत रजिस्ट्रार में वेष्ठित शक्तियाँ जो कि, छ. ग. शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र./15-23/15-02/2015/3 दिनांक 26-10-2017 के द्वारा मुझे प्रदत्त की गई है, का प्रयोग करते हुए पूर्व में जारी आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए श्री डी. डी. विश्वास, सहकारी निरीक्षक के स्थान पर श्री पी. के. पाण्डेय, सहकारी निरीक्षक को इलेक्ट्रिल डिपार्टमेंट को-ऑप. केंटीन मर्या. भिलाई, पंजीयन क्रमांक 1989 समिति का परिसमापक नियुक्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 26-03-2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं पद मुद्रा से जारी किया जाता है.

दुर्ग, दिनांक 26 मार्च 2018

क्रमांक/उपंदु/परिसमापन/2018/338.—वस्तुतः छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अंतर्गत कार्यालयीन आदेश क्रमांक/उपंदु/परिसमापन/2014-15/44 दुर्ग, दिनांक 08-01-2015 के द्वारा श्री डी. डी. विश्वास, सहकारी निरीक्षक को इन्स्टूमेन्शन डिपार्टमेंट को-ऑपरेटिव्ह केंटीन बी. एस. पी. मर्या. भिलाई, पंजीयन क्रमांक 1993 का परिसमापक नियुक्त किया गया था. श्री डी. डी. विश्वास, सहकारी निरीक्षक की पदोन्नति पश्चात् दुर्ग जिले से रायपुर जिले में स्थानांतरित हो जाने के फलस्वरूप मैं उमेश तिवारी, उप रजिस्ट्रार सहकारी संस्थाएं दुर्ग, छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 उपधारा (2) (क) के अंतर्गत रजिस्ट्रार में वेष्ठित शक्तियाँ जो कि, छ. ग. शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र./15-23/15-02/2015/3 दिनांक 26-10-2017 के द्वारा मुझे प्रदत्त की गई है, का प्रयोग करते हुए पूर्व में जारी आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए श्री डी. डी. विश्वास, सहकारी निरीक्षक के स्थान पर श्री पी. के. पाण्डेय, सहकारी निरीक्षक को इन्स्टूमेन्शन डिपार्टमेंट को-ऑपरेटिव्ह केंटीन बी. एस. पी. मर्या. भिलाई, पंजीयन क्रमांक 1993 समिति का परिसमापक नियुक्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 26-03-2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं पद मुद्रा से जारी किया जाता है.

दुर्ग, दिनांक 26 मार्च 2018

क्रमांक/उपंदु/परिसमापन/2018/339.—वस्तुत: छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अंतर्गत कार्यालयीन आदेश क्रमांक/उपंदु/परिसमापन/2015/678 दुर्ग, दिनांक 18-03-2015 के द्वारा श्री डी. डी. विश्वास, सहकारी निरीक्षक को जलगृह कर्मचारी जलपान सहकारी समिति मर्या. मरोदा, पंजीयन क्रमांक 2357 का परिसमापक नियुक्त किया गया था. श्री डी. डी. विश्वास, सहकारी निरीक्षक की पदोन्नति पश्चात् दुर्ग जिले से रायपुर जिले में स्थानांतरित हो जाने के फलस्वरूप मैं उमेश तिवारी, उप रजिस्ट्रार सहकारी संस्थाएं दुर्ग, छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 उपधारा (2) (क) के अंतर्गत रजिस्ट्रार में वेष्ठित शक्तियॉं जो कि, छ. ग. शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र./15-23/15-02/2015/3 दिनांक 26-10-2017 के द्वारा मुझे प्रदत्त की गई है, का प्रयोग करते हुए पूर्व में जारी आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए श्री डी. डी. विश्वास, सहकारी निरीक्षक के स्थान पर श्री पी. के. पाण्डेय, सहकारी निरीक्षक को जलगृह कर्मचारी जलपान सहकारी समिति मर्या. मरोदा, पंजीयन क्रमांक 2357 समिति का परिसमापक नियुक्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 26-03-2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं पद मुद्रा से जारी किया जाता है.

दुर्ग, दिनांक 26 मार्च 2018

क्रमांक/उपंदु/परिसमापन/2018/340.—वस्तुत: छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अंतर्गत कार्यालयीन आदेश क्रमांक/उपंदु/परिसमापन/2015/681 दुर्ग, दिनांक 18-03-2015 के द्वारा श्री डी. डी. विश्वास, सहकारी निरीक्षक को महिला श्रमिक रेतखदान सहकारी समिति मर्या. जमराव पंजीयन क्रमांक 2608 का परिसमापक नियुक्त किया गया था. श्री डी. डी. विश्वास, सहकारी निरीक्षक की पदोन्नति पश्चात् दुर्ग जिले से रायपुर जिले में स्थानांतरित हो जाने के फलस्वरूप मैं उमेश तिवारी, उप रजिस्ट्रार सहकारी संस्थाएं दुर्ग, छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 उपधारा (2) (क) के अंतर्गत रजिस्ट्रार में वेष्ठित शक्तियॉं जो कि, छ. ग. शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र./15-23/15-02/2015/3 दिनांक 26-10-2017 के द्वारा मुझे प्रदत्त की गई है, का प्रयोग करते हुए पूर्व में जारी आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए श्री डी. डी. विश्वास, सहकारी निरीक्षक के स्थान पर श्री पी. के. पाण्डेय, सहकारी निरीक्षक को महिला श्रमिक रेतखदान सहकारी समिति मर्या. जमराव पंजीयन क्रमांक 2608 समिति का परिसमापक नियुक्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 26-03-2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं पद मुद्रा से जारी किया जाता है.

दुर्ग, दिनांक 26 मार्च 2018

क्रमांक/उपंदु/परिसमापन/2018/341.—वस्तुत: छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अंतर्गत कार्यालयीन आदेश क्रमांक/उपंदु/परिसमापन/2015/680 दुर्ग, दिनांक 18-03-2015 के द्वारा श्री डी. डी. विश्वास, सहकारी निरीक्षक को एस. सी./एस. टी. लेबर कांट्रेक्टर को. ऑप. सहकारी समिति मर्या. भिलाई पंजीयन क्रमांक 2756 का परिसमापक नियुक्त किया गया था. श्री डी. डी. विश्वास, सहकारी निरीक्षक की पदोन्नति पश्चात् दुर्ग जिले से रायपुर जिले में स्थानांतरित हो जाने के फलस्वरूप मैं उमेश तिवारी, उप रजिस्ट्रार सहकारी संस्थाएं दुर्ग, छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 उपधारा (2) (क) के अंतर्गत रजिस्ट्रार में वेष्ठित शक्तियॉं जो कि, छ. ग. शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र./15-23/15-02/2015/3 दिनांक 26-10-2017 के द्वारा मुझे प्रदत्त की गई है, का प्रयोग करते हुए पूर्व में जारी आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए श्री डी. डी. विश्वास, सहकारी निरीक्षक के स्थान पर श्री पी. के. पाण्डेय, सहकारी निरीक्षक को एस. सी./एस. टी. लेबर कांट्रेक्टर को. ऑप. सहकारी समिति मर्या. भिलाई पंजीयन क्रमांक 2756 समिति का परिसमापक नियुक्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 26-03-2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं पद मुद्रा से जारी किया जाता है.

दुर्ग, दिनांक 26 मार्च 2018

क्रमांक/उपंदु/परिसमापन/2018/342.—वस्तुत: छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अंतर्गत कार्यालयीन आदेश क्रमांक/उपंदु/परिसमापन/2015/672 दुर्ग, दिनांक 18-03-2015 के द्वारा श्री डी. डी. विश्वास, सहकारी निरीक्षक को नवसाक्षर महिला अगरबत्ती उद्योग सहकारी समिति मर्या. रामपुर पंजीयन क्रमांक 2556 का परिसमापक नियुक्त किया गया था. श्री डी. डी. विश्वास, सहकारी निरीक्षक की पदोन्नति पश्चात् दुर्ग जिले से रायपुर जिले में स्थानांतरित हो जाने के फलस्वरूप मैं उमेश तिवारी, उप रजिस्ट्रार सहकारी संस्थाएं दुर्ग, छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 उपधारा (2) (क) के अंतर्गत रजिस्ट्रार में वेष्ठित शक्तियॉं जो कि, छ. ग. शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र./15-23/15-02/2015/3 दिनांक 26-10-2017 के द्वारा मुझे प्रदत्त की गई है, का प्रयोग करते हुए पूर्व में जारी आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए श्री डी. डी. विश्वास, सहकारी निरीक्षक के स्थान पर श्री पी. के. पाण्डेय, सहकारी निरीक्षक को नवसाक्षर महिला अगरबत्ती उद्योग सहकारी समिति मर्या. रामपुर पंजीयन क्रमांक 2556 समिति का परिसमापक नियुक्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 26-03-2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं पद मुद्रा से जारी किया जाता है.

दुर्ग, दिनांक 26 मार्च 2018

क्रमांक/उपंदु/परिसमापन/2018/343.—वस्तुत: छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अंतर्गत कार्यालयीन आदेश क्रमांक/उपंदु/परिसमापन/2015/682 दुर्ग, दिनांक 18-03-2015 के द्वारा श्री डी. डी. विश्वास, सहकारी निरीक्षक को जय अम्बे खनिज कामगार सहकारी समिति मर्या. खपरी पंजीयन क्रमांक 2613 का परिसमापक नियुक्त किया गया था. श्री डी. डी. विश्वास, सहकारी निरीक्षक की पदोन्नति पश्चात् दुर्ग जिले से रायपुर जिले में स्थानांतरित हो जाने के फलस्वरूप मैं उमेश तिवारी, उप रजिस्ट्रार सहकारी संस्थाएं दुर्ग, छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 उपधारा (2) (क) के अंतर्गत रजिस्ट्रार में वेष्ठित शक्तियॉं जो कि, छ. ग. शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र./15-23/15-02/2015/3 दिनांक 26-10-2017 के द्वारा मुझे प्रदत्त की गई है, का प्रयोग करते हुए पूर्व में जारी आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए श्री डी. डी. विश्वास, सहकारी निरीक्षक के स्थान पर श्री पी. के. पाण्डेय, सहकारी निरीक्षक को जय अम्बे खनिज कामगार सहकारी समिति मर्या. खपरी पंजीयन क्रमांक 2613 समिति का परिसमापक नियुक्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 26-03-2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं पद मुद्रा से जारी किया जाता है.

दुर्ग, दिनांक 26 मार्च 2018

क्रमांक/उपंदु/परिसमापन/2018/344.—वस्तुत: छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अंतर्गत कार्यालयीन आदेश क्रमांक/उपंदु/परिसमापन/2015/683 दुर्ग, दिनांक 18-03-2015 के द्वारा श्री डी. डी. विश्वास, सहकारी निरीक्षक को पत्थर खदान श्रमिक सहकारी समिति मर्या. राजपुर पंजीयन क्रमांक 2602 का परिसमापक नियुक्त किया गया था. श्री डी. डी. विश्वास, सहकारी निरीक्षक की पदोन्नति पश्चात् दुर्ग जिले से रायपुर जिले में स्थानांतरित हो जाने के फलस्वरूप मैं उमेश तिवारी, उप रजिस्ट्रार सहकारी संस्थाएं दुर्ग, छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 उपधारा (2) (क) के अंतर्गत रजिस्ट्रार में वेष्ठित शक्तियॉं जो कि, छ. ग. शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र./15-23/15-02/2015/3 दिनांक 26-10-2017 के द्वारा मुझे प्रदत्त की गई है, का प्रयोग करते हुए पूर्व में जारी आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए श्री डी. डी. विश्वास, सहकारी निरीक्षक के स्थान पर श्री पी. के. पाण्डेय, सहकारी निरीक्षक को पत्थर खदान श्रमिक सहकारी समिति मर्या. राजपुर पंजीयन क्रमांक 2602 समिति का परिसमापक नियुक्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 26-03-2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं पद मुद्रा से जारी किया जाता है.

दुर्ग, दिनांक 26 मार्च 2018

क्रमांक/उपंदु/परिसमापन/2018/345.—वस्तुतः छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अंतर्गत कार्यालयीन आदेश क्रमांक/उपंदु/परिसमापन/2015/679 दुर्ग, दिनांक 18-03-2015 के द्वारा श्री डी. डी. विश्वास, सहकारी निरीक्षक को अन्नपूर्ण संयुक्त कृषि सहकारी समिति मर्या. मतवारी पंजीयन क्रमांक 28 का परिसमापक नियुक्त किया गया था. श्री डी. डी. विश्वास, सहकारी निरीक्षक की पदोन्नति पश्चात् दुर्ग जिले से रायपुर जिले में स्थानांतरित हो जाने के फलस्वरूप मैं उमेश तिवारी, उप रजिस्ट्रार सहकारी संस्थाएं दुर्ग, छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 उपधारा (2) (क) के अंतर्गत रजिस्ट्रार में वेष्ठित शक्तियाँ जो कि, छ. ग. शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र./15-23/15-02/2015/3 दिनांक 26-10-2017 के द्वारा मुझे प्रदत्त की गई है, का प्रयोग करते हुए पूर्व में जारी आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए श्री डी. डी. विश्वास, सहकारी निरीक्षक के स्थान पर श्री पी. के. पाण्डेय, सहकारी निरीक्षक को अन्नपूर्ण संयुक्त कृषि सहकारी समिति मर्या. मतवारी पंजीयन क्रमांक 28 समिति का परिसमापक नियुक्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 26-03-2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं पद मुद्रा से जारी किया जाता है.

दुर्ग, दिनांक 26 मार्च 2018

क्रमांक/उपंदु/परिसमापन/2018/346.—वस्तुतः छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अंतर्गत कार्यालयीन आदेश क्रमांक/उपंदु/परिसमापन/2015/677 दुर्ग, दिनांक 18-03-2015 के द्वारा श्री डी. डी. विश्वास, सहकारी निरीक्षक को नव साक्षर महिला मसाला उद्योग सहकारी समिति मर्या. नेहरू नगर पंजीयन क्रमांक 2551 का परिसमापक नियुक्त किया गया था. श्री डी. डी. विश्वास, सहकारी निरीक्षक की पदोन्नति पश्चात् दुर्ग जिले से रायपुर जिले में स्थानांतरित हो जाने के फलस्वरूप मैं उमेश तिवारी, उप रजिस्ट्रार सहकारी संस्थाएं दुर्ग, छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 उपधारा (2) (क) के अंतर्गत रजिस्ट्रार में वेष्ठित शक्तियाँ जो कि, छ. ग. शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र./15-23/15-02/2015/3 दिनांक 26-10-2017 के द्वारा मुझे प्रदत्त की गई है, का प्रयोग करते हुए पूर्व में जारी आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए श्री डी. डी. विश्वास, सहकारी निरीक्षक के स्थान पर श्री पी. के. पाण्डेय, सहकारी निरीक्षक को नव साक्षर महिला मसाला उद्योग सहकारी समिति मर्या. नेहरू नगर पंजीयन क्रमांक 2551 समिति का परिसमापक नियुक्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 26-03-2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं पद मुद्रा से जारी किया जाता है.

उमेश तिवारी,
उप पंजीयक.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2018.